की उत्तरी मेड पर अभियुक्त की भूमि संख्या 3 मे खातेदारी भूमि है। एवं प्रार्थी के ख.न 790/121 व अभियुक्त के आराजी ख.न. 122 की मेड पर पत्थरों के मध्य सीमा व डोल मेड का विवाद है। प्रार्थी का तर्क है कि अभियुक्त प्रार्थी के खातेदारी ख.न 790/121 की उत्तरी मेड को तोड़कर अपनी आराजी ख.न. 122 मे मिला रहा था। अतः अभियुक्त को प्रार्थी के ख.न 790/121 मे डोल-मेड नही तोड़ने हेतु पाबन्द किया जावे।

अभियुक्त ने अपने जवाब मे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को नकारते हुए प्रार्थी द्वारा अभियुक्त की डोल-मेड तोड़ने की बात कही है। उपखण्ड ने अपनी पहल मे प्रार्थना पत्र व जवाब के तथ्यों को दोहराया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, अभियुक्त के जवाब प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व उपखण्ड की पहल के पश्चात निष्कर्ष यह है कि प्रार्थी के आराजी ख.न 790/121 व अभियुक्त का ख.न 122 संलग्न है। एवं उपखण्ड मे उक्त ख.न की मेड पर विवाद है जोकि पत्रावली रिकॉर्ड से साबित है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी के ख.न 790/121 की उत्तरी मेड जोकि ख.न 122 के साथ है। उपखण्ड को डाबे के निस्तारण मेड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर शामिल मुल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा